फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

बृजलाल बनाम ओमप्रकाश आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 33 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
13.02.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 281/0 की कुल तादादी 1.5174 है0 वादभूमि के मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 13.03.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
13/3/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब .. [illegible] पत्रावली दि0 15/3/24 को पेश हो। [signature]	
15/3/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब .. [illegible] पत्रावली दि0 1/4/24 को पेश हो। [signature]	
1/4/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमान्जी पी.ओ. साहब .. [illegible] पत्रावली दि0 29/4/24 को पेश हो। [signature]	
29/4/24	[illegible handwritten order] [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:23:48 IST
Reason: SelfAttested